

018-19 के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु निर्धारित धनराशि का प्राकल्लन ।

।जना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मरगांव-जसपुर-चमियारी से उलण तक मोटर मार्ग के निर्माण , 4.879 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।।

वृक्षारोपण स्थल का नाम :- ग्राम इन्द्रा खसरा सं०-1727, 1749, 1750				वृक्षा० क्षे०फ० :- 9.758 है०।		
वृक्षारोपण व्यय प्रति है० (2000 पौध)						
क्र०सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	है०	138.60	है०	138.60
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1	है०	4143.70	है०	4143.70
3	दीवालबन्दी (फन्सिंग) 150 सिविंग मी०	1	है०	28833.20	है०	28833.20
4	गड्डा खुदान (0.30×0.30×0.45)	2000	गड्डे	8.80	गड्डा	17600.00
5	निरीक्षण बटिया बनाना	1	है०	1034.00	है०	1034.00
6	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) 75 प्रतिशत पॉलोथीन बैग पौधरोपण हेतु	2000	पौध	13.20	पौध	26400.00
7	अन्य व्यय जैसे यन्त्र, सयन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर	0.5	है०	1326.60	है०	663.30
योग :- प्रथम चरण						78812.80
द्वितीय चरण :-						
1	गड्डा भरान (0.30×0.30×0.45)	2000	गड्डे	1.562	गड्डा	3124.00
2	पौधरोपण व थावलाबन्दी दुलान रोपण क्षेत्र के अन्दर दुलान सहित	2000	पौध	3.135	पौध	6270.00
3	निराई-गुडत्राई व मल्लिचंग (दो बार)	2000	गड्डे	4.169	गड्डा	8338.00
4	खाद व दवा पर व्यय	2000	गड्डे	1.10	गड्डा	2200.00
5	रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय	1	है०	5464.80	है०	5464.80
6	8.1. वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील	1	है०	448.80	है०	448.80
	8.2. सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	1	है०	448.80	है०	448.80
	8.3. वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु					
	अ- प्रशिक्षण	1	है०	689.70	है०	689.70
	ब- प्रोत्साहन	1	है०	344.30	है०	344.30
7	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध दुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो, तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्कूमैटेशन आदि कार्य	0.50	है०	1326.60	है०	663.30
योग :- द्वितीय चरण						27991.70
तृतीय चरण :-						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	15000.00	है०	15000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	3000.00	है०	3000.00
योग :-						18000.00
चतुर्थ चरण :-						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10000.00	है०	10000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	2000.00	है०	2000.00
योग :-						12000.00
पंचम चरण :-						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10000.00	है०	10000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	2000.00	है०	2000.00
योग :-						12000.00
षष्ठम चरण :-						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10000.00	है०	10000.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	2000.00	है०	2000.00
योग :-						12000.00

सुरक्षा कार्य

योग :-

है०

2000.00

है०

2000.00

12000.00

ण :-

रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह

1

है०

10000.00

है०

10000.00

अग्नि सुरक्षा कार्य

1

है०

2000.00

है०

2000.00

योग :-

12000.00

छम चरण :-

1 रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह

1

है०

10000.00

है०

10000.00

2 अग्नि सुरक्षा कार्य

1

है०

2000.00

है०

2000.00

योग :-

12000.00

नवम चरण :-

1 रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह

1

है०

10000.00

है०

10000.00

2 अग्नि सुरक्षा कार्य

1

है०

2000.00

है०

2000.00

योग :-

12000.00

दशम चरण :-

1 रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह

1

है०

10000.00

है०

10000.00

2 अग्नि सुरक्षा कार्य

1

है०

2000.00

है०

2000.00

योग :-

12000.00

कुलयोग :-

208804.50

एकदशम चरण :- अनुरक्षण नवम वर्ष

1 रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह

1

है०

10300.00

है०

10300.00

2 अग्नि सुरक्षा कार्य

1

है०

684.00

है०

684.00

योग :-

10984.00

द्वदशम चरण :- अनुरक्षण दशम वर्ष

1 रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह

1

है०

10300.00

है०

10300.00

2 अग्नि सुरक्षा कार्य

1

है०

684.00

है०

684.00

योग :-

10984.00

कुल योग :-

327929.60

नोट :- प्रभाग के आगणन अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि 327929.60.00 है, किन्तु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश सं०-972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि मु०-2,78,665.00 निर्धारित की गई है। अतः क्षति० वृक्षा० की धनराशि मु०-2,78,665.00 से निकाली जा रही है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है० = 2,78,665.00

परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल = 4.879 है० x 2 = 9.758 है०।

दोगुने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि = 9.758 x 2,78,665.00 = 27,19,213.07 रू०

Or Say = 27,19,213.07 Rs.

2719213.07/-
 धनराशि
 उत्तराखण्ड वन विभाग
 देहरादून

प्रभागीय वन अधिकारी
 उत्तराखण्ड वन विभाग
 देहरादून